



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08062023-246403
CG-DL-E-08062023-246403

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2429]
No. 2429]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 8, 2023/ज्येष्ठ 18, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 8, 2023/JYAISHTHA 18, 1945

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 8 जून, 2023

का.आ. 2539(अ).—भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का. आ. 1394 (अ) तारीख 30 मई, 2013 और का.आ. 5249(अ) तारीख 11 नवम्बर, 2022 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3), (4) और (5) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता, इकाई (यूनिट) और विनिर्माता और विपणन कंपनियों के नाम सहित स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में से प्रत्येक की, वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है

तालिका

क्रं सं	विनिर्माता का नाम/ब्रांड का नाम	प्रबलता	इकाई	विनिर्माता और विपणन कंपनी	खुदरा मूल्य (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ट्रिप्सिन, ब्रोमेलैन, रुटोसाइड ट्राइहाइड्रेट और डिक्लोफेनाक सोडियम गोली	प्रत्येक एंटरिक कोटेड गोली में: ट्रिप्सिन बीपी 48 मिलीग्राम ब्रोमेलैन 90 मिलीग्राम	1 गोली	मैसर्स सिनोकेम फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड / मैसर्स ट्रोइका फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	20.51

क्रं सं	विनिर्मिति का नाम/ब्रांड का नाम	प्रबलता	इकाई	विनिर्माता और विपणन कंपनी	खुदरा मूल्य (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		रुटोसाइड ट्राइहाइड्रेट बीपी 100 मिलीग्राम डिक्लोफेनाक सोडियम आईपी 50 मिलीग्राम			
2	ग्लिकलाजाइड ईआर और मेटफोर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (ईआर) गोली	प्रत्येक अनकोटेड बाइलेयर गोली में: ग्लिकलाजाइड आईपी 60 मिलीग्राम (एक्स्टेंडेड-रिलीज़) मेटफोर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 1000 मिलीग्राम (एक्स्टेंडेड-रिलीज़)	1 गोली	मेसर्स रेवेनभेल हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड / मेसर्स मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड	10.03
3	टेलिमसर्टन, क्लोथालिडोन और सिल्लीडिपाइन गोली	प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में: टेलिमसर्टन आईपी 40 मिलीग्राम क्लोथालिडोन आईपी 6.25 मिलीग्राम सिल्लीडिपाइन आईपी 10 मिलीग्राम	1 गोली	मेसर्स मैस्कॉट हेल्थ सीरीज प्रा. लिमिटेड / मैसर्स एरिस लाइफसाइंसेस लिमिटेड	13.17
4	एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लैवुलनेट ओरल सस्पेंशन आईपी	प्रत्येक 5 मि.ली. ओफ कौंस्टीट्यूटेड सस्पेंशन में : एमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट आईपी एमोक्सिसिलिन 400 मिग्रा के बराबर पोटेशियम क्लैवुलनेट डिह्यूटेड आईपी क्लैवुलानिक एसिड 57 मिलीग्राम	1 मि.ली.	मेसर्स आल्प्स कम्युनिकेशन प्रा. लिमिटेड / मेसर्स मैनकाइंड प्राइम लैब्स प्रा. लिमिटेड	4.05
5	एसिक्लोफेनाक, पेरासिटामोल और सेराटियोपेप्टिडेज़ गोली	प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में: एसिक्लोफेनाक आईपी 100 मिलीग्राम, पेरासिटामोल आईपी 325 मिलीग्राम सेराटियोपेप्टिडेज़ आईपी 10 मिलीग्राम (एंटरिक कोटेड ग्रैन्यूलस 20000 एंजाइम एक्टिविटी ऊनिटी सेराटियोपेप्टिडेज़ के बराबर)	1 गोली	मैसर्स एकुम्स ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड / मैसर्स जर्मन रेमेडीज फार्मास्युटिकल्स प्रा. लिमिटेड	5.23
6	एसिक्लोफेनाक, पेरासिटामोल और सेराटियोपेप्टिडेज़ गोली	प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में: एसिक्लोफेनाक आईपी 100 मिलीग्राम, पेरासिटामोल आईपी 325 मिलीग्राम सेराटियोपेप्टिडेज़ आईपी 15 मिलीग्राम (एंटरिक कोटेड ग्रैन्यूलस 30000 एंजाइम एक्टिविटी ऊनिटी सेराटियोपेप्टिडेज़ के बराबर)	1 गोली	मैसर्स एकुम्स ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड / मैसर्स जर्मन रेमेडीज फार्मास्युटिकल्स प्रा. लिमिटेड	8.09
7	ओफ़्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाज़ोल सस्पेंशन	प्रत्येक 5 मि.ली. में: ओफ़्लॉक्सासिन आईपी 50 मिलीग्राम मेट्रोनिडाज़ोल बेंजोएट आईपी मेट्रोनिडाज़ोल 100 मिलीग्राम	1 मि.ली.	मैसर्स स्काईमैप फार्मास्युटिकल्स प्रा. लिमिटेड / मैसर्स जर्मन रेमेडीज फार्मास्युटिकल्स प्रा. लिमिटेड	0.72
8	डिक्लोफेनाक डायथाइलमाइन, मिथाइल सैलिसिलेट, मेन्थॉल और वर्जिन लिंसीड ओइल टोपिकल स्प्रे	कम्पोजीशन: डिक्लोफेनाक डायथाइलमाइन आईपी 1.16% डब्ल्यू / डब्ल्यू डिक्लोफेनाक सोडियम आईपी 1% के बराबर वर्जिन लिंसीड ओइल बीपी 3% डब्ल्यू /	1 ग्राम	मैसर्स पॉटिका एयरोटेक लिमिटेड / मैसर्स एबट हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड	2.69

क्रं सं	विनिर्मिति का नाम/ब्रांड का नाम	प्रबलता	इकाई	विनिर्माता और विपणन कंपनी	खुदरा मूल्य (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		डब्ल्यू मिथाइल सैलिसिलेट आईपी 10% डब्ल्यू / डब्ल्यू मेन्थॉल आईपी 5% डब्ल्यू / डब्ल्यू			
9	अल्फा लिपोइक एसिड, मिथाइलकोबालामिन, विटामिन बी 6, फोलिक एसिड, बेनफोटामाइन, बायोटिन और क्रोमियम पिकोलिनेट कैप्सूल	प्रत्येक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में: अल्फा लिपोइक एसिड यूएसपी 100 मिलीग्राम मिथाइलकोबालामिन आईपी 1500 एमसीजी विटामिन बी6 आईपी 3 मिग्रा फोलिक एसिड आईपी 1.5 मिलीग्राम बेनफोटामाइन 50 मिलीग्राम बायोटिन यूएसपी 5 मिलीग्राम क्रोमियम पिकोलिनेट यूएसपी क्रोमियम 200 एमसीजी के बराबर	1 कैप्सूल	मैसर्स थियोन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड / मेसर्स जर्मन रेमेडीज फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	13.57
10	लिडोकेन और प्रिलोकाइन स्प्रे	प्रत्येक एक्चुएशन स्प्रे में: लिडोकेन 7.5 मिलीग्राम प्रिलोकाइन 2.5 मिलीग्राम	1 ग्राम	मैसर्स पोंटिका एरोटेक / मेसर्स मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड	34.52
11	सोडियम एल्गिनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट ओरल सस्पेंशन	प्रत्येक 5 मि.ली. में: सोडियम एल्गिनेट आईपी 250 मिलीग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट आईपी 133.5 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आईपी 80 मिलीग्राम	1 मि.ली.	मैसर्स एकुम्स ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड / मेसर्स मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड	0.88
12	एटोरवास्टेटिन, क्लोपिडोग्रेल और एस्पिरिन कैप्सूल	प्रत्येक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में: एटोरवास्टेटिन कैल्शियम आईपी एटोरवास्टेटिन 40 मिलीग्राम (वाइट कलर्ड पैलैट्स) के बराबर क्लोपिडोग्रेल बाइसल्फेट आईपी क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम (दो रेडिुश ब्राउन कलर्ड फिल्म लेपित गोलियों के रूप में, प्रत्येक में 37.5 मिलीग्राम क्लोपिडोग्रेल गोलियां आईपी) एस्पिरिन आईपी 75 मिलीग्राम (एंटरिक लेपित वाइट कलर्ड पैलैट्स)	1 कैप्सूल	मेसर्स विंडलास बायोटेक लिमिटेड / मेसर्स ज़ाइडस हेल्थकेयर लिमिटेड	13.22
13	टेलिमसर्टन और बिसोप्रोलोल फ्यूमरेट गोलियाँ	प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में: टेलिमसर्टन आईपी 40 मिलीग्राम बिसोप्रोलोल फ्यूमरेट आईपी 2.5 मिलीग्राम	1 गोली	मेसर्स रेवेनभेल हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड / मेसर्स एमक्योर फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	10.97
14	टेलिमसर्टन और बिसोप्रोलोल फ्यूमरेट	प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में: टेलिमसर्टन आईपी 40 मिलीग्राम	1 गोली	मेसर्स रेवेनभेल हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड / मेसर्स एमक्योर	12.62

क्रं सं	विनिर्मिति का नाम/ब्रांड का नाम	प्रबलता	इकाई	विनिर्माता और विपणन कंपनी	खुदरा मूल्य (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	गोलियाँ	बिसोप्रोलोल फ्यूमरेट आईपी 5 मिलीग्राम		फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	
15	टेलिमसर्टन और बिसोप्रोलोल फ्यूमरेट गोलियाँ	प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में: टेलिमसर्टन आईपी 40 मिलीग्राम बिसोप्रोलोल फ्यूमरेट आईपी 2.5 मिलीग्राम	1 गोली	मेसर्स रेवेनभेल हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड / मैसर्स एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	9.82
16	टेलिमसर्टन और बिसोप्रोलोल फ्यूमरेट गोलियाँ	प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में: टेलिमसर्टन आईपी 40 मिलीग्राम बिसोप्रोलोल फ्यूमरेट आईपी 5 मिलीग्राम	1 गोली	मेसर्स रेवेनभेल हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड / मैसर्स एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	11.60
17	एज़ेलनिडिपाइन और टेलिमसर्टन गोली	प्रत्येक अनकोटेड बिलेयर्ड गोली में: एज़ेलनिडिपाइन आईपी 16 मिलीग्राम टेलिमसर्टन आईपी 40 मिलीग्राम।	1 गोली	मेसर्स मैस्कॉट हेल्थ सीरीज प्रा. लिमिटेड / मैसर्स टोरेंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	17.96
18	एज़ेलनिडिपाइन और टेलिमसर्टन गोली	प्रत्येक अनकोटेड बिलेयर्ड गोली में: एज़ेलनिडिपाइन आईपी 16 मिलीग्राम टेलिमसर्टन आईपी 40 मिलीग्राम।	1 गोली	मेसर्स मैस्कॉट हेल्थ सीरीज प्रा. लिमिटेड / मैसर्स ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	17.82
19	पेरासिटामोल और कैफीन गोलियाँ आईपी	प्रत्येक अनकोटेड गोली में: पेरासिटामोल आईपी 500 मिलीग्राम कैफीन आईपी 50 मिलीग्राम	1 गोली	मैसर्स ट्रोइका फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	1.77
20	एटोरवास्टेटिन और बेम्पेडोइक एसिड गोली	प्रत्येक फिल्म लेपित गोली में: बेम्पेडोइक एसिड 180 मिलीग्राम एटोरवास्टेटिन कैल्शियम आईपी एटोरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम के बराबर	1 गोली	मैसर्स एक्सेमेड फार्मास्युटिकल्स / मैसर्स एरिस लाइफसाइंसेस लिमिटेड	52.97
21	ओफ़्लॉक्सासिन और डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट आई/इयर ड्रॉप्स	कम्पोजीशन: ओफ़्लॉक्सासिन आईपी 0.3% डब्ल्यू / वी डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट आईपी 0.1% डब्ल्यू / वी स्टेरिल एक्युयेसन वेहिकल क्यू. एस.	1 मि.ली.	मैसर्स स्काईमैप हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड / मैसर्स हीलिंग फार्मा इंडिया प्रा. लिमिटेड	5.80
22	बिलास्टाइन और मॉन्टेनुकास्ट ओरल सस्पेंशन	प्रत्येक 5 मि.ली. सस्पेंशन में: बाइलास्टाइन 10 मिग्रा मॉन्टेनुकास्ट सोडियम आईपी मोनेनुकास्ट 4 मिलीग्राम के बराबर	1 मि.ली.	मेसर्स रेवेनभेल हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड / मैसर्स एरिस्टो फार्मास्युटिकल्स प्रा। लिमिटेड	1.71
23	फॉर्मोटेरोल फ्यूमरेट और बुडेसोनाइड रेस्पिरैटर सस्पेंशन	प्रत्येक 2 मि.ली. पुल्म्यूल में: फॉर्मोटेरोल फ्यूमरेट डाइहाइड्रेट आईपी फोरोटेरोल फ्यूमरेट 20 एमसीजी बुडेसोनाइड आईपी 1 मिलीग्राम	पर पुल्म्यूल ओफ 2 मि.ली.	मैसर्स अल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड	56.20

नोट :

(क) उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन के विनिर्माता अर्थात् जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(यू) के तहत उपर्युक्त दी गई तालिका के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।

(ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे वस्तु एवं सेवा कर का जोड़ सकते हैं।

(ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म V में अधिसूचना की तारीख से एक मूल्य सूची एनपीपीए को आईपीडीएमएस के माध्यम से जारी करें तथा उसकी कापी राज्य औषधि नियंत्रकों और विनिर्माता वितरकों को जारी करें।

(घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के 24 (4) के अनुसार प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्श के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सुस्पष्ट भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को प्रदर्शित करेगा।

(ङ) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसा कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग ऑथोरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियां जो अनुपालन करती हैं।

(च) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।

(छ) इस आदेश में उपरोक्त तालिका के कॉलम (3) और (5) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में निर्दिष्ट विनिर्माण और विपणन कंपनियों की स्ट्रेंथ और नाम के साथ, उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट ऐसे फॉर्मूलेशन के खुदरा मूल्य के निर्धारण के परिणामस्वरूप, कॉलम (2), (3) और (5) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में यथा निर्दिष्ट उस विनिर्माण और विपणन कंपनियों के लिए निर्दिष्ट स्ट्रेंथ के साथ फॉर्मूलेशन के खुदरा मूल्य को निर्धारित करने वाले कोई मूल्य आदेश यदि इस अधिसूचना से पहले जारी किए गए हों, तो उसे इसका स्थान लिया माना जाएगा।

[पीएन/245/113/2023/एफ/फा. सं. 8(113)/2023/डी.पी./एनपीपीए-डी.वी.-II]

महावीर सैनी, उप निदेशक (मूल्य निर्धारण)

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

ORDER

New Delhi, the 8th June, 2023

S.O. 2539(E).—In exercise of the powers conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 and S. O. 5249(E) dated 11th November, 2022 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA), hereby fixes, the price as specified in column (6) of the table herein below as the retail price, exclusive of Goods and Services Tax, if any, in relation to the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength, unit and name of manufacturer & marketing company, as specified in the corresponding entries in columns (3), (4) and (5) thereof;

TABLE

Sl. No.	Name of the Formulation / Brand Name	Strength	Unit	Manufacturer & Marketing Company	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Trypsin, Bromelain, Rutoside Trihydrate and Diclofenac Sodium Tablets	Each enteric coated tablet contains: Trypsin BP 48mg Bromelain 90mg Rutoside Trihydrate BP 100mg Diclofenac Sodium IP 50mg	1 Tablet	M/s Synokem Pharmaceuticals Limited / M/s Troikkaa Pharmaceuticals Ltd.	20.51
2	Gliclazide ER and Metformin	Each uncoated bilayer tablet contains: Gliclazide IP 60mg (as extended-	1 Tablet	M/s Ravenbhel Healthcare Pvt. Ltd. / M/s	10.03

Sl. No.	Name of the Formulation / Brand Name	Strength	Unit	Manufacturer & Marketing Company	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Hydrochloride (ER) Tablets	release form) Metformin Hydrochloride IP 1000mg (as extended-release form)		Mankind Pharma Ltd.	
3	Telmisartan, Chlorthalidone & Cilnidipine tablets	Each film coated tablet contains: Telmisartan IP 40mg Chlorthalidone IP 6.25mg Cilnidipine IP 10mg	1 Tablet	M/s Mascot Health Series Pvt. Ltd. / M/s Eris Lifesciences Limited	13.17
4	Amoxicillin and Potassium Clavulanate Oral Suspension IP	Each 5ml of constituted suspension contains: Amoxicillin Trihydrate IP eq. to Amoxicillin 400mg Potassium Clavulanate Diluted IP eq. to Clavulanic Acid 57mg	1 ml	M/s Alps Communication Pvt. Ltd. / M/s Mankind Prime Labs Pvt. Ltd.	4.05
5	Aceclofenac + Paracetamol + Serratiopeptidase Tablet	Each film coated tablet contains: Aceclofenac IP 100mg, Paracetamol IP 325mg Serratiopeptidase IP 10mg (As enteric coated granules eq. to 20000 enzyme activity unity of serratiopeptidase)	1 Tablet	M/s Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. /M/s German Remedies Pharmaceuticals Pvt. Ltd.	5.23
6	Aceclofenac + Paracetamol + Serratiopeptidase Tablet	Each film coated tablet contains: Aceclofenac IP 100mg, Paracetamol IP 325mg Serratiopeptidase IP 15mg (As enteric coated granules eq. to 30000 enzyme activity unity of serratiopeptidase)	1 Tablet	M/s Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. /M/s German Remedies Pharmaceuticals Pvt. Ltd.	8.09
7	Ofloxacin and Metronidazole suspension	Each 5ml contains: Ofloxacin IP 50mg Metronidazole Benzoate IP eq. to Metronidazole 100mg	1 ml	M/s Skymap Pharmaceuticals Pvt. Ltd./ M/s German Remedies Pharmaceuticals Pvt. Ltd.	0.72
8	Diclofenac Diethylamine, Methyl Salicylate, Menthol & Virgin Linseed Oil Topical Spray	Composition: Diclofenac Diethylamine IP 1.16%w/w eq. to Diclofenac Sodium IP 1% Virgin Linseed Oil BP 3% w/w Methyl Salicylate IP 10% w/w Menthol IP 5%w/w	1 Gm	M/s Pontika Aerotech Limited / M/s Abbott Healthcare Pvt. Ltd.	2.69
9	Alpha Lipoic Acid, Methylcobalamin, Vitamin B6, Folic Acid, Benfotaimine, Biotin & Chromium Picolinate Capsule	Each hard gelatin capsule contains: Alpha Lipoic Acid USP 100mg Methylcobalamin IP 1500mcg Vitamin B6 IP 3mg Folic Acid IP 1.5mg Benfotaimine 50mg Biotin USP 5mg Chromium Picolinate USP eq. to Chromium 200mcg	1 Capsule	M/s Theon Pharmaceuticals Ltd. / M/s German Remedies Pharmaceuticals Pvt. Ltd.	13.57
10	Lidocaine & Prilocaine Spray	Each actuation spray contains:Lidocaine 7.5mgPrilocaine 2.5mg	1 Gm	M/s Pontika Aerotech / M/s Mankind Pharma Ltd.	34.52
11	Sodium Alginate, Sodium Bicarbonate & Calcium Carbonate Oral Suspension	Each 5ml contains: Sodium Alginate IP 250mg Sodium Bicarbonate IP 133.5mg Calcium Carbonate IP 80mg	1 ml	M/s Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. / M/s Mankind Pharma Ltd.	0.88
12	Atorvastatin, Clopidogrel & Aspirin Capsule	Each hard gelatin capsule contains: Atorvastatin Calcium IP eq. to Atorvastatin 40mg (As white coloured pellets) Clopidogrel Bisulphate IP eq. to Clopidogrel 75mg (As two reddish brown coloured film coated tablets,	1 Capsule	M/s Windlas Biotech Limited / M/s Zydus Healthcare Limited	13.22

Sl. No.	Name of the Formulation / Brand Name	Strength	Unit	Manufacturer & Marketing Company	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		each containing 37.5mg clopidogrel tablets IP) Aspirin IP 75mg (As enteric coated white-coloured pellets)			
13	Telmisartan and Bisoprolol Fumarate Tablets	Each film coated tablet contains: Telmisartan IP 40mg Bisoprolol Fumarate IP 2.5mg	1 Tablet	M/s Ravenbhel Healthcare Pvt. Ltd. / M/s Emcure Pharmaceuticals Limited	10.97
14	Telmisartan and Bisoprolol Fumarate Tablets	Each film coated tablet contains: Telmisartan IP 40mg Bisoprolol Fumarate IP 5mg	1 Tablet	M/s Ravenbhel Healthcare Pvt. Ltd. / M/s Emcure Pharmaceuticals Limited	12.62
15	Telmisartan and Bisoprolol Fumarate Tablets	Each film coated tablet contains: Telmisartan IP 40mg Bisoprolol Fumarate IP 2.5mg	1 Tablet	M/s Ravenbhel Healthcare Pvt. Ltd. / M/s Alembic Pharmaceuticals Ltd.	9.82
16	Telmisartan and Bisoprolol Fumarate Tablets	Each film coated tablet contains: Telmisartan IP 40mg Bisoprolol Fumarate IP 5mg	1 Tablet	M/s Ravenbhel Healthcare Pvt. Ltd. / M/s Alembic Pharmaceuticals Ltd.	11.60
17	Azelnidipine and Telmisartan Tablet	Each uncoated bilayered tablet contains: Azelnidipine IP 16mg Telmisartan IP 40mg.	1 Tablet	M/s Mascot Health Series Pvt. Ltd. / M/s Torrent Pharmaceuticals Limited	17.96
18	Azelnidipine and Telmisartan Tablet	Each uncoated bilayered tablet contains: Azelnidipine IP 16mg Telmisartan IP 40mg.	1 Tablet	M/s Mascot Health Series Pvt. Ltd. / M/s Glenmark Pharmaceuticals Limited	17.82
19	Paracetamol and Caffeine Tablets IP	Each uncoated tablet contains: Paracetamol IP 500mg Caffeine IP 50mg	1 Tablet	M/s Troikaa Pharmaceuticals Limited	1.77
20	Atorvastatin and Bempedoic Acid Tablets	Each film coated tablet contains: Bempedoic Acid 180mg Atorvastatin Calcium IP eq. to Atorvastatin 80mg	1 Tablet	M/s Exemed Pharmaceuticals / M/s Eris Lifesciences Limited	52.97
21	Ofloxacin & Dexamethasone Sodium Phosphate Eye/Ear Drops	Composition: Ofloxacin IP 0.3% w/v Dexamethasone Sodium Phosphate IP 0.1% w/v Sterile aqueous Vehicle q.s.	1 ml	M/s Skymap Healthcare Pvt. Ltd. /M/s Healing Pharma India Pvt. Ltd.	5.80
22	Bilastine and Montelukast Oral Suspension	Each 5ml suspension contains: Bilastine 10mg Montelukast Sodium IP eq. to Monelukast 4mg	1 ml	M/s Ravenbhel Healthcare Pvt. Ltd. / M/s Aristo Pharmaceuticals Pvt. Ltd.	1.71
23	Formoterol Fumarate and Budesonide Respirator Suspension	Each 2ml pulmule contains: Formoterol Fumarate Dihydrate IP eq. to Foroterol Fumarate 20mcg Budesonide IP 1mg	Per Pulmule of 2 ml	M/s Alkem Laboratories Limited	56.20

Note:

- The manufacturer of above-mentioned formulations i.e., “new drug” under paragraph 2(1)(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (6) of the table hereinabove.
- The manufacturer may add Goods and Services Tax only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in column (6) of the above said table.
- The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (6) of the above table as per provisions contained in

paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.

- (d) As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.
- (e) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturer / marketer as mentioned above i.e. who have applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfilment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturer/marketing companies.
- (f) In case the retail price of any of the aforesaid formulations is not complied with, as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- (g) Consequent to the fixation of retail price of such formulation as specified in column (2) of the above table with the strength and name of Manufacturer & Marketing Companies specified in the corresponding entries in Column (3) & (5) thereof, the price order(s) fixing the retail price of the formulation with specified strength for that Manufacturer & Marketing Companies as specified in corresponding entries in Column (2), (3) and (5) thereof, if any, issued prior to this notification, stand(s) superseded.

[PN/245/113/2023/F/F. No. 8(113)/2023/D.P./NPPA-Div.-II]

MAHAVEER SAINI, Dy. Director (Pricing)

आदेश

नई दिल्ली, 8 जून, 2023

का.आ. 2540(अ).—भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का0 आ0 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 और का0 आ0 5249(अ) तारीख 11 नवम्बर, 2022 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 और 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) के का. आ. 1573(अ) दिनांक 31 मार्च, 2023 के आदेश के अधिक्रमण में जहां तक उसका संबंध नीचे की सारणी के विनिर्भित पैक से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट खुराक रूप एवं प्रबलता और इकाई सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्भितियों में से प्रत्येक की, वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है:

सारणी

क.सं.	अनुसूचित विनिर्भित का नाम	खुराक रूप एवं प्रबलता	इकाई	अधिकतम कीमत (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	थियोपेंटोन	पाउडर फोर इंजेक्शन 1 ग्राम	1 वाईल	55.32
2	थियोपेंटोन	पाउडर फोर इंजेक्शन 0.5 ग्राम	1 वाईल	45.69
3	पर्मेथ्रिन	जेल 5%	1 ग्राम	1.31
4	सुमाट्रिप्टान	गोली 25 मिलीग्राम	1 गोली	32.50
5	सुमाट्रिप्टान	गोली 50 मिलीग्राम	1 गोली	55.68
6	क्लोफ़ाज़िमाइन	कैप्सूल 100 मिलीग्राम	1 कैप्सूल	3.98
7	क्लोफ़ाज़िमाइन	कैप्सूल 50 मिलीग्राम	1 कैप्सूल	2.11
8	डापसोन	गोली 100 मिलीग्राम	1 गोली	0.41
9	आइसोनियाज़िड	गोली 300 मिलीग्राम	1 गोली	1.29

10	आइसोनियाज़िड	गोली 100 मिलीग्राम	1 गोली	0.65
11	वारफरिन	गोली 5 मिलीग्राम	1 गोली	2.40
12	वारफरिन	गोली 3 मिलीग्राम	1 गोली	3.18
13	वारफरिन	गोली 2 मिलीग्राम	1 गोली	2.72
14	वारफरिन	गोली 1 मिलीग्राम	1 गोली	2.46
15	सक्सिनीकोलिन	इंजेक्शन 50 मिलीग्राम /मि.ली.	1 मि.ली.	5.21

नोट :

- (क) सरकार द्वारा इस प्रकार नियत की गई और अधिसूचित की गई अधिकतम कीमत (वस्तु एवं सेवा कर, जो लागू हों सहित) से अधिक कीमत पर अनुसूचित विनिर्मितियों के ब्रांडेड या जेनेरिक या दोनों रूपांतरों को बेच रहे अनुसूचित विनिर्मितियों के सभी विनिर्माता, उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत (वस्तु एवं सेवा कर, जो लागू हों सहित) से अधिक सभी ऐसी विनिर्मितियों की कीमत का अधोमुखी पुनरीक्षण करेंगे।
- (ख) मौजूदा निर्माताओं को उपर्युक्त कथित अनुसूचित विनिर्मितियों के अधिकतम खुदरा कीमत उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत वस्तु एवं सेवा कर सहित से कम है तो, जहां कहीं भी लागू हों, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 13(2) के अनुसार उसके मौजूदा अधिकतम खुदरा कीमत को बनाए रखना होगा।
- (ग) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे वस्तु एवं सेवा कर को जोड़ सकते हैं।
- (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत सम्बन्धित निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए अधिकतम कीमत निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म-V में अधिसूचना की तारीख से आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को एक मूल्य सूची जारी करें तथा उसकी कॉपी राज्य औषधि नियंत्रकों और विनिर्माता वितरकों को जारी करें।
- (ङ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 24 (4) के अनुसार प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारोबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्श के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सुस्पष्ट भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को प्रदर्शित करेगा।
- (च) उपर्युक्त सारणी में यथा विनिर्दिष्ट खुदरा या प्रबलता या दोनों के साथ अनुसूचित विनिर्मितियों का कोई मौजूदा विनिर्माता औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 के पैरा 2 (1) (यू) के अनुसार कोई नई औषधि को लांच करता है तो ऐसे मौजूदा विनिर्माता की औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 की अनुसूची-II के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट फॉर्म-I में एनपीपीए को ऐसी नई औषधि के पूर्व मूल्य अनुमोदन हेतु आवेदन करना होगा।
- (छ) उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों के निर्माता उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के अनुसूची II के फॉर्म III को आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। कोई निर्माता उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों का उत्पादन बन्द करन का इच्छुक हो तो वह इसके सम्बन्ध में के उत्पादन और आयात को बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले अनुसूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (ज) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त कथित सारणी में दर्शाये अधिकतम मूल्य और शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (झ) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की गई तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसी विनिर्मितियों के पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणामस्वरूप, अधिकतम या खुदरा मूल्य निर्धारित आदेश यदि कोई हो, जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, उनका स्वतः ही अधिक्रमण हो जाएगा।

[का. सं./245/113/2023/एफ/फा. सं. 8(113)/2023/डी.पी./एनपीपीए-डी.वी.-II]

महावीर सैनी, उप निदेशक (मूल्य निर्धारण)

ORDER

New Delhi, the 8th June, 2023

S.O. 2540(E).—In exercise of the powers conferred by paragraphs 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 and 18 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated 30th May, 2013 and S.O. 5249(E) dated 11th November, 2022 issued by the Government of India the Ministry of Chemicals and Fertilizers and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (National Pharmaceutical Pricing Authority) No SO 1573(E) dated 31st March, 2023 in so far as it relates to formulation packs mentioned in the table below, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (5) of the table herein below as ceiling price exclusive of goods and services tax applicable, if any, in respect of the Scheduled formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the dosage form & strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Dosage form and strength	Unit	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Thiopentone	Powder for injection 1g	1 Vial	55.32
2	Thiopentone	Powder for injection 0.5g	1 Vial	45.69
3	Permethrin	Gel 5%	1 GM	1.31
4	Sumatriptan	Tablet 25mg	1 Tablet	32.50
5	Sumatriptan	Tablet 50mg	1 Tablet	55.68
6	Clofazimine	Capsule 100mg	1 Capsule	3.98
7	Clofazimine	Capsule 50mg	1 Capsule	2.11
8	Dapsone	Tablet 100 mg	1 Tablet	0.41
9	Isoniazid	Tablet 300mg	1 Tablet	1.29
10	Isoniazid	Tablet 100mg	1 Tablet	0.65
11	Warfarin	Tablet 5 mg	1 Tablet	2.40
12	Warfarin	Tablet 3 mg	1 Tablet	3.18
13	Warfarin	Tablet 2 mg	1 Tablet	2.72
14	Warfarin	Tablet 1 mg	1 Tablet	2.46
15	Succinylcholine	Injection 50mg/mL	1 ML	5.21

Note:

- All manufacturers of scheduled formulation, selling the branded or generic or both the versions of scheduled formulations at a price higher than the ceiling price (plus Goods and Services Tax as applicable) so fixed and notified by the Government, shall revise the prices of all such formulations downward not exceeding the ceiling price specified in column (5) in the above table plus goods and services tax as applicable, if any.
- All the existing manufacturers of above-mentioned scheduled formulations having MRP lower than the ceiling price specified in column (5) in the above table plus goods and services tax as applicable, if any, shall continue to maintain the existing MRP in accordance with paragraph 13 (2) of the DPCO, 2013.
- The manufacturers may add goods and services tax only if they have paid actually or if it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in column (5) of the above said table.
- The ceiling price for a pack of the scheduled formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the ceiling price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.
- As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.
- Where an existing manufacturer of scheduled formulation with dosage or strength or both as specified in the above table launches a new drug as per paragraph 2(1)(u) of the DPCO, 2013 such existing

manufacturer shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under Schedule-II of the DPCO, 2013.

- (g) The manufacturers of above said scheduled formulations shall furnish quarterly return to the NPPA, in respect of production / import and sale of scheduled formulations in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013 through IPDMS. Any manufacturer intending to discontinue production of above said scheduled formulation shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of production and / or import of scheduled formulation in Form-IV of Schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (h) The manufacturers not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with Essential Commodities Act, 1955.
- (i) Consequent to the issue of ceiling price of such formulation as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[PN/245/113/2023/F/F. No. 8(113)/2023/D.P./NPPA-Div.-II]

MAHAVEER SAINI, Dy. Director (Pricing)

आदेश

नई दिल्ली, 8 जून, 2023

का.आ. 2541(अ).—भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का0 आ0 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 और का0 आ0 5249(अ) तारीख 11 नवम्बर, 2022 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 और 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसके संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है) नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट खुराक रूप एवं प्रबलता और इकाई सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है:

सारणी

क.सं.	अनुसूचित विनिर्मिति का नाम	खुराक रूप एवं प्रबलता	इकाई	अधिकतम कीमत (₹.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	फ्रेमाइसेटिन	क्रीम 1 %	1 ग्राम	1.66
2	फ्लड्रोकोर्टिसोन	गोली 0.1 मिलीग्राम	1 गोली	13.20

नोट :

- (क) सरकार द्वारा इस प्रकार नियत की गई और अधिसूचित की गई अधिकतम कीमत (वस्तु एवं सेवा कर, जो लागू हों सहित) से अधिक कीमत पर अनुसूचित विनिर्मितियों के ब्रांडेड या जेनेरिक या दोनों रूपांतरों को बेच रहे अनुसूचित विनिर्मितियों के सभी निर्माता, उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत (वस्तु एवं सेवा कर, जो लागू हों सहित) से अधिक सभी ऐसी विनिर्मितियों की कीमत का अधोमुखी पुनरीक्षण करेंगे।
- (ख) सभी मौजूदा निर्माताओं को उपर्युक्त कथित अनुसूचित विनिर्मितियों के अधिकतम खुदरा कीमत उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत वस्तु एवं सेवा कर सहित से कम है तो, जहां कहीं भी लागू हो, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 13(2) के अनुसार उसके मौजूदा अधिकतम खुदरा कीमत को बनाए रखना होगा।
- (ग) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे वस्तु एवं सेवा कर को जोड़ सकते हैं।
- (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत सम्बन्धित निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए अधिकतम कीमत निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म-V में अधिसूचना की तारीख से आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को एक मूल्य सूची जारी करें तथा उसकी कॉपी राज्य औषधि नियंत्रकों और निर्माता वितरकों को जारी करें।
- (ङ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 24 (4) के अनुसार प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारोबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्श के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सुस्पष्ट भाग पर कीमत सूची आर पूरक सूची, यदि कोई हो, को प्रदर्शित करेगा।

- (व) उपर्युक्त सारणी में यथा विनिर्दिष्ट खुदरा या प्रबलता या दोनों के साथ अनुसूचित विनिर्मिति का कोई मौजूदा विनिर्माता औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 के पैरा 2 (1) (यू) के अनुसार कोई नई औषधि को लांच करता है तो ऐसे मौजूदा विनिर्माता की औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 की अनुसूची-II के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट फार्म-I में एनपीपीए को ऐसी नई औषधि के पूर्व मूल्य अनुमोदन हेतु आवेदन करना होगा।
- (छ) उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों के निर्माता उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के अनुसूची II के फॉर्म III को आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। कोई निर्माता उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों का उत्पादन बन्द करन का इच्छुक हो तो वह इसके सम्बन्ध में के उत्पादन और आयात को बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले अनुसूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (ज) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त कथित सारणी में दर्शाये अधिकतम मूल्य और शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (झ) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की गई तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसी विनिर्मितियों के पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणामस्वरूप, अधिकतम या खुदरा मूल्य निर्धारित आदेश यदि कोई हो, जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, उनका स्वतः ही अधिक्रमण हो जाएगा।

[का. सं./245/113/2023/एफ/फा. सं. 8(113)/2023/डी.पी./एनपीपीए-डी.वी.-II]

महावीर सैनी, उप निदेशक (मूल्य निर्धारण)

ORDER

New Delhi, the 8th June, 2023

S.O. 2541(E).—In exercise of the powers conferred by paragraphs 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 and 18 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated 30th May, 2013 and S.O. 5249(E) dated 11th November, 2022 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the prices as specified in column (5) of the table herein below as ceiling price exclusive of Goods and Services Tax applicable, if any, in respect of the Scheduled formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the dosage form & strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Dosage form and strength	Unit	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Framycetin	Cream 1 %	1 GM	1.66
2	Fludrocortisone	Tablet 0.1mg	1 Tablet	13.20

Note:

- (a) All manufacturers of scheduled formulation, selling the branded or generic or both the versions of scheduled formulations at a price higher than the ceiling price (plus Goods and Services Tax as applicable) so fixed and notified by the Government, shall revise the prices of all such formulations downward not exceeding the ceiling price specified in column (5) in the above table plus goods and services tax as applicable, if any.
- (b) All the existing manufacturers of above mentioned scheduled formulations having MRP lower than the ceiling price specified in column (5) in the above table plus goods and services tax as applicable, if any, shall continue to maintain the existing MRP in accordance with paragraph 13 (2) of the DPCO, 2013.
- (c) The manufacturers may add goods and services tax only if they have paid actually or if it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in column (5) of the above said table.
- (d) The ceiling price for a pack of the scheduled formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the ceiling price specified in column (5) of the above table as per

provisions contained in paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.

- (e) As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.
- (f) Where an existing manufacturer of scheduled formulation with dosage or strength or both as specified in the above table launches a new drug as per paragraph 2(1)(u) of the DPCO, 2013 such existing manufacturer shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under Schedule-II of the DPCO, 2013.
- (g) The manufacturers of above said scheduled formulations shall furnish quarterly return to the NPPA, in respect of production / import and sale of scheduled formulations in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013 through IPDMS. Any manufacturer intending to discontinue production of above said scheduled formulation shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of production and / or import of scheduled formulation in Form-IV of Schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (h) The manufacturers not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with Essential Commodities Act, 1955.
- (i) Consequent to the issue of ceiling price of such formulation as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[PN/245/113/2023/F/F. No. 8(113)/2023/D.P./NPPA-Div.-II]

MAHAVEER SAINI, Dy. Director (Pricing)

आदेश

नई दिल्ली, 8 जून, 2023

का.आ. 2542(अ).—जबकि दवाओं/फॉर्मूलेशनों की कीमतें निर्धारित/संशोधित, निगरानी करने के लिए और ड्रग (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ) के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के दिनांक 29 अगस्त 1997 के संकल्प संख्या 33/7/97-PI.I के माध्यम से राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) की स्थापना की गई थी; और जबकि भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 और 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 30 मई 2013 के एस.ओ. 1349(अ) के माध्यम से डीपीसीओ, 2013 के पैरा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 32 के संबंध में केंद्र सरकार के कार्य करने के लिए एनपीपीए को शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है;

2. और जबकि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत जारी डीपीसीओ, 2013 का उद्देश्य सभी को सस्ती कीमतों पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है वस्तु अधिनियम, 1955, यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सभी उपलब्ध हों।

3. जबकि, औषध विभाग (इसके बाद डीओपी के रूप में संदर्भित) ने ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (इसके बाद डीपीसीओ के रूप में संदर्भित) 2013 की अनुसूची I को दिनांक 11.11.2022 के एस.ओ. 5249 (अ) के द्वारा आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (इसके बाद एनएलईएम 2022 के रूप में संदर्भित) के आधार पर संशोधित किया है।

4. जबकि संशोधित अनुसूची - I के तहत, कुछ नए फॉर्मूलेशन जोड़े गए हैं उन फॉर्मूलेशन में से कुछ के संदर्भ में एक ही कंपनी के मूल्य में उच्च इंटर ब्रांड भिन्नता देखी गई है। प्राधिकरण की 111वीं बैठक में इस मामले पर विचार किया गया था और दिनांक 31.03.2023 के एस.ओ. 1579(अ) में दिए गए कारणों के आधार पर डीपीसीओ 2013 के पैरा 19 के तहत इस तरह के फॉर्मूलेशन की अधिकतम कीमत तय की गई है और उक्त अधिसूचना के तहत अधिसूचित किया गया है। इसी तरह से अनुसूचित फॉर्मूलेशन - लैटानोप्रोस्ट ड्रॉप्स 0.005% के मामले में भी मूल्य में इंटर ब्रांड भिन्नता देखी गई है। इस मामले पर प्राधिकरण की 113वीं बैठक में विचार-विमर्श किया गया और एस.ओ. 1579 (ई) दिनांक 31.03.2023 के अनुसार, प्राधिकरण ने डीपीसीओ 2013 के पैरा 19 के तहत उक्त फॉर्मूलेशन की अधिकतम कीमत को मंजूरी दी है।

5. इसलिए, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 30 मई, 2013 के का.आ. 1394(अ) को भारत सरकार द्वारा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में जारी किया गया, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (इसके बाद एनपीपीए के रूप में संदर्भित) एतद्वारा लागू माल और सेवा कर, यदि कोई हो, को छोड़कर अधिकतम मूल्य निर्धारित करता है। जैसा कि तालिका के कॉलम (5) में निर्दिष्ट है। कथित तालिका के कॉलम (2) में तदनुसूची प्रविष्टि में निर्दिष्ट अनुसूचित फॉर्मूलेशन, क्रमशः कॉलम (3) और (4) में संबंधित प्रविष्टियों में निर्दिष्ट खुराक का तरीका और स्ट्रेथ और इकाई के साथ:

तालिका

क्रम सं.	अनुसूचित विनिर्माता का नाम	खुराक रूप एवं प्रबलता	इकाई	अधिकतम कीमत (₹.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	लैटानोप्रोस्ट	ड्रॉप 0.005%	1 मि.ली.	232.57

नोट :

- (क) सरकार द्वारा इस प्रकार नियत की गई और अधिसूचित की गई अधिकतम कीमत (वस्तु एवं सेवा कर, जो लागू हों सहित) से अधिक कीमत पर लैटानोप्रोस्ट ड्रॉप 0.005% के ब्रांडेड या जेनेरिक या दोनों रूपांतरों को बेच रहे लैटानोप्रोस्ट ड्रॉप 0.005% के सभी विनिर्माता, उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत (वस्तु एवं सेवा कर, जो लागू हों सहित) से अधिक सभी ऐसी विनिर्मितियों की कीमत का अधोमुखी पुनरीक्षण करेंगे।
- (ख) मौजूदा निर्माताओं को उपर्युक्त कथित अनुसूचित विनिर्मितियों के अधिकतम खुदरा कीमत उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत वस्तु एवं सेवा कर सहित से कम है तो, जहां कहीं भी लागू हो, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 13(2) के अनुसार उसके मौजूदा अधिकतम खुदरा कीमत को बनाए रखना होगा।
- (ग) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे वस्तु एवं सेवा कर को जोड़ सकते हैं।
- (घ) यदि संशोधन किया जाता है तो, इसकी सूचना ऐसे संशोधनों को किए जाने के पंद्रह दिनों के भीतर की अवधि में प्रपत्र-II के रूप में इलेक्ट्रॉनिक अथवा वास्तविक किसी भी तौर पर सरकार को अग्रेषित की जाएगी और इस उप-पैराग्राफ के तहत सूचना प्रस्तुत नहीं किए जाने को अधिकतम खुदरा मूल्य में संशोधन नहीं किया जाना माना जाएगा और संबंधित निर्माता अधिक शुल्क लेने की तिथि से उस पर ब्याज सहित पूर्व-संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक की राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (ङ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत सम्बन्धित निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए अधिकतम कीमत निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म-V में अधिसूचना की तारीख से आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को एक मूल्य सूची जारी करें तथा उसकी कॉपी राज्य औषधि नियंत्रकों और विनिर्माता वितरकों को जारी करें।
- (च) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 24 (4) के अनुसार प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारोबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्श के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सुस्पष्ट भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को प्रदर्शित करेगा।
- (छ) उपर्युक्त सारणी में यथा विनिर्दिष्ट खुदरा या प्रबलता या दोनों के साथ अनुसूचित विनिर्माता का कोई मौजूदा विनिर्माता औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 के पैरा 2 (1) (यू) के अनुसार कोई नई औषधि को लांच करता है तो ऐसे मौजूदा विनिर्माता की औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 की अनुसूची-II के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट फार्म-I में एनपीपीए को ऐसी नई औषधि के पूर्व मूल्य अनुमोदन हेतु आवेदन करना होगा।
- (ज) उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों के निर्माता उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के अनुसूची II के फॉर्म III को आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। कोई निर्माता उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों का उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो वह इसके सम्बन्ध में के उत्पादन और आयात को बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले अनुसूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (झ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त कथित सारणी में दर्शाये अधिकतम मूल्य और शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की गई तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसी विनिर्मितियों के पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणामस्वरूप, अधिकतम या खुदरा मूल्य निर्धारित आदेश यदि कोई हो, जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, उनका स्वतः ही अधिक्रमण हो जाएगा।

[पीएन/245/113/2023/एफ/फा. सं. 8(113)/2023/डी.पी./एनपीपीए-डी.वी.-II]

महावीर सैनी, उप निदेशक (मूल्य निर्धारण)

ORDER

New Delhi, the 8th June, 2023

S.O. 2542(E).—Whereas the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) was established vide Resolution No. 33/7/97-PI.I dated 29th August 1997 of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers to fix/revise, monitor prices of drugs/formulations and oversee the implementation of the Drugs (Prices Control) Order (hereinafter referred as DPCO); and whereas the Government of India by S.O. 1349(E) dated 30th May 2013 in exercise of the powers conferred by Section 3 and 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) has delegated the powers in respect of paragraphs 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 32 of the DPCO, 2013 to the NPPA to exercise the functions of the Central Government;

2. And whereas the aim of the DPCO, 2013 issued under section 3 of Essential Commodities Act, 1955, is to ensure that essential drugs are available to all at affordable prices.

3. Whereas, the Department of Pharmaceuticals (hereinafter referred as DOP) has amended Schedule I of the DPCO 2013 vide S.O. 5249(E) dated 11.11.2022 based on National List of Essential Medicine (hereinafter referred as NLEM 2022).

4. Whereas under the revised Schedule I, certain new formulations have been added. In respect of some of these formulations, high Inter brand variation within the same company has been observed. The matter was deliberated in 111th Authority meeting and based on reasons detailed in S. O. 1579(E) dated 31.03.2023, the ceiling prices of such formulations have been fixed under Para 19 of DPCO 2013 and notified vide the said notification. Similar inter brand price variation has been observed in case of the scheduled formulation “Latanoprost Drops 0.005%”. The matter has been deliberated in 113th Authority meeting and based on reasons as detailed in S.O. 1579(E) dated 31.03.2023, the Authority has approved the ceiling price of the said formulation under Para 19 of DPCO 2013.

5. Therefore, in exercise of the powers conferred by paragraphs 19 of the DPCO, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the NPPA hereby fixes the ceiling prices exclusive of goods and services tax applicable, if any, as specified in column (5) of the table in respect of the Scheduled formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the dosage form & strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Dosage form and strength	Unit	Ceiling Price fixed under NLEM, 2022 (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Latanoprost	Drops 0.005%	1 ML	232.57

Notes:

- All manufacturers of Latanoprost Drops 0.005%, selling the branded or generic or both the versions of Latanoprost Drops 0.005%, at a price higher than the ceiling price (plus Goods and Services Tax as applicable) so fixed and notified by the Government, shall revise the prices of the said scheduled formulation downward not exceeding the ceiling price specified in column (5) in the above table plus goods and services tax as applicable, if any.
- All the existing manufacturers of above-mentioned scheduled formulation having MRP lower than the ceiling price specified in column (5) in the above table plus GST as applicable, if any, shall continue to maintain the existing MRP in accordance with paragraph 13 (2) of the DPCO, 2013.
- The manufacturers may add goods and services tax only if they have paid actually or if it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in column (5) of the above said table.

- (d) Information about the revision, if carried out, shall be forwarded to the Government in either electronic or physical form in Form-II within a period of fifteen days of such revision and non-submission of information under this sub-paragraph shall be construed as non-revision of maximum retail price (MRP) and the concerned manufacturer shall be liable to deposit the amount charged over and above the pre-revised maximum retail price (MRP), alongwith interest thereon from the date of overcharging.
- (e) The ceiling price for a pack of the scheduled formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the ceiling price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.
- (f) As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.
- (g) Where an existing manufacturer of scheduled formulation with dosage or strength or both as specified in the above table launches a new drug as per paragraph 2(1)(u) of the DPCO, 2013 such existing manufacturer shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under Schedule-II of the DPCO, 2013.
- (h) The manufacturers of above said scheduled formulations shall furnish quarterly return to the NPPA, in respect of production / import and sale of scheduled formulations in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013 through IPDMS. Any manufacturer intending to discontinue production of above said scheduled formulation shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of production and / or import of scheduled formulation in Form-IV of Schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (i) The manufacturers not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with Essential Commodities Act, 1955.
- (j) Consequent to the issue of ceiling price of such formulation as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[PN/245/113/2023/F/F. No. 8(113)/2023/D.P./NPPA-Div.-II]

MAHAVEER SAINI, Dy. Director (Pricing)